



जनपद शामली पुलिस



--सोशल मीडिया सेल शामली--

[प्रेस विज्ञप्ति](#)

[दिनांक 22.03.2024](#)

थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम खेडी करमू में युवक को आत्महत्या करने हेतु उकसाने के मामले में वांछित अभियुक्त व अभियुक्ता गिरफ्तार:-

आज दिनांक 22.03.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा कोतवाली शामली क्षेत्रान्तर्गत युवक को आत्महत्या करने हेतु उकसाने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। उपरोक्त घटना में शामिल अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं शीघ्र ही गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी।

ज्ञात हो कि दिनांक 20.03.2024 को वादी श्री देवेन्द्र पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम खेडी करमू थाना कोतवाली शामली जनपद शामली द्वारा उसके भाई को अभियुक्तगण द्वारा आत्महत्या करने हेतु उकसाने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर नामजद तहरीर दाखिल की गयी थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शामली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त/अभियुक्ता:-

1. हरित पुत्र मेघनाथ निवास खेडी करमू थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
2. जूली पत्नी स्व० अमित कुमार निवासी खेडी करमू थाना कोतवाली शामली जपनद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ०नि० श्री उ०नि० युनुस खान थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
2. है०का० योगेन्द्र सिंह थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
3. म०का० सोनिया थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।



थाना थानाभवन पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने के मामले में 01 अभियुक्त गिरफ्तार:-

दिनांक 22.03..2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरुद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी थानाभवन के कुशल नेतृत्व में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि थाना थानाभवन क्षेत्रान्तर्गत नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने के सम्बन्ध में पीडिता के परिजन द्वारा दिनांक 10.03.2024 को थाना थानाभवन पर लिखित तहरीर दी गयी थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना थानाभवन पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1.मोनू उर्फ शुभम पुत्र सतवीर निवासी ग्राम मुण्डेट खादर थाना थानाभवन जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्त:-

1.मु0अ0सं0 59/24 धारा 363 भादवि थाना थानाभवन जनपद शामली।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

1.उ0नि0 श्री प्रवीन कुमार थाना थानाभवन जनपद शामली।

2.है0का0 गौरव राणा थाना थानाभवन जनपद शामली।



थानाभवन क्षेत्रान्तर्गत हिण्ड रेलवे स्टेशन के सामने मन्दिर के पास बने कमरे से चोरी की घटना झूठी पाये जाने के सम्बन्ध में प्रेस विज्ञप्ति ।

ज्ञात हो दिनांक 21.03.2024 को वादी श्री जगपाल पुत्र बाबूराम निवासी न्यामतुलापुर थाना गढीपुख्ता जनपद शामली द्वारा हिण्ड रेलवे स्टेशन के सामने शिव मन्दिर के पास बने कमरे से नगदी व सामान अज्ञात चोर द्वारा चोरी करने के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर तहरीर दाखिल की थी । दाखिला तहरीर के आधार पर थाना थानाभवन पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर घटना के सफल अनावरण हेतु टीमें लगायी गयी थी ।

इसी क्रम में आज दिनांक 21.03.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा चलाये जा रहे चोरी/लूट की घटनाओं के अनावरण एवं इनमें लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के कुशल पर्यवेक्षण में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा विवेचना के क्रम में वादी श्री जगपाल सिंह उपरोक्त से गहन पूछताछ की गयी तो वादी द्वारा बताया गया कि वह हिण्ड रेलवे स्टेशन के पास शिव मन्दिर पर पूजा अर्चना करता है मन्दिर पर पास के ही गाँव के असमाजिक तत्व आ जाते थे, असामाजिक तत्व मन्दिर पर न आये इसलिये श्री जगपाल सिंह द्वारा पुलिस को झूठी सूचना दी गयी । वादी जगपाल उपरोक्त द्वारा किसी प्रकार की चोरी की घटना न होने के सम्बन्ध में लिखित मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है । मन्दिर के कमरे से किसी प्रकार की चोरी की घटना का होना नहीं पाया गया है ।

थाना कैराना पुलिस द्वारा कैराना क्षेत्रान्तर्गत मौहल्ला आलकला में एक युवक के घर में घुसकर मारपीट कर जानलेवा हमला करना तथा घर में मौजूद नाबालिग/महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में वांछित हिस्ट्रीशीटर सहित

02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध हथियार बरामद:-

ज्ञात हो कि दिनांक 19.03.2024 को श्री वादी श्री मुस्तफा पुत्र छोटा निवासी मौहल्ला आलकला कस्बा व थाना कैराना जनपद शामली के साथ साद पुत्र नूर आदि 11 नफर अभियुक्तों व 01 अज्ञात व्यक्ति द्वारा लाठी डण्डों से लैस होकर मारपीट कर जानलेवा हमला करना तथा घर में मौजूद नाबालिग/महिलाओं के साथ गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना कैराना पर नामजद लिखित तहरीर दाखिल की गयी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 22.03.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा क्षेत्रान्तर्गत मौहल्ला आलकला में एक युवक के घर में घुसकर मारपीट कर जानलेवा हमला करना तथा घर में मौजूद नाबालिग/महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में वांछित हिस्ट्रीशीटर सहित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त के कब्जे से अवैध हथियार व कारतूस बरामद हुआ है। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। घटना में लिप्त अभियुक्तों आमिर को दिनांक 20.03.2024 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमें लगाई गयी है। शीघ्र ही गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

- 1.इनाम उर्फ धूरी पुत्र अफजाल निवासी मौहल्ला आर्यपुरी थाना कैराना जनपद शामली (हिस्ट्रीशीटर)।
- 2.शाहदीन उर्फ सादो पुत्र शाहिद उर्फ सईद निवासी मौहल्ला गुज्जरवाडा थाना कैराना जनपद शामली।

आराधिक इतिहास हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त इनाम उर्फ धूरी उपरोक्त:-

- 1.मु0अ0सं0 142ए/2006 धारा 147,148,452,324,504 भादवि थाना कैराना जनपद शामली।
- 2.मु0अ0सं0 272/2006 धारा 147,148,149,307,452 भादवि थाना कैराना जनपद शामली।
- 3.मु0अ0सं0 274/2006 धारा 307,323,504,506 भादवि थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
- 4.मु0अ0सं0 271/2007 धारा 384 भादवि थाना कैराना जनपद शामली।
- 5.मु0अ0सं0 574/2007 धारा 3 /4 गुण्डा अधिनियम थाना कैराना जनपद शामली।
- 6.मु0अ0सं0 26/2012 धारा 110 जी द0प्र0स0 थाना कैराना जनपद शामली।
- 7.मु0अ0सं0 614/2016 धारा 120-बी ,307 भादवि थाना कैराना जनपद शामली।
- 8.मु0अ0सं0 659/2016 धारा 386,506 भादवि थाना कैराना जनपद शामली।
- 9.मु0अ0सं0 688/2016 धारा 386 भादवि थाना कैराना जनपद शामली।
- 10.मु0अ0सं0 881/2017 धारा 147,148,323,452,504,506 भादवि थाना कैराना जनपद शामली।
- 11.मु0अ0सं0 1177/2019 धारा 135 विधुत अधिनियम थाना कोतवाली शामली थाना कैराना जनपद शामली।
- 12.मु0अ0सं0 1005/2019 धारा 147,148,149,185,149,171-F,185,186,302,307,323,353,427,504,506 भादवि थाना कैराना जनपद शामली।
- 13.मु0अ0सं0 189/2021 धारा 147,148,149,307,323,354,354(ख),406,427,452,504,506 भादवि थाना कैराना जनपद शामली।
- 14.मु0अ0सं0 190/2021 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना कैराना जनपद शामली।

15.मु0अ0सं0 130/2024 धारा 147/148/149/323/307/354/354ख/504/506/452 भादवि व 9एम/10 पोक्सो
अधिनियम थाना कैराना जनपद शामिल ।

बरामदगी का विवरण:-

1.एक अवैध तमंचा मय खोखा कारतूस 315 बोर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1.उ0नि0 श्री विनोद कुमार थाना कैराना जनपद शामिल ।

2.है0का0 मोहित कुमार थाना कैराना जनपद शामिल ।

3.का0 अमित कुमार थाना कैराना जनपद शामिल ।



थाना झिंझाना पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए अलग-अलग मामलों में 03 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी/वांछित अभियुक्त किये गिरफ्तार:-

आज दिनांक 22.03.2024 को पुलिस अधीक्षक शामिल श्री अभिषेक के आदेशानुसार आगामी लोक सभा चुनाव-2024 को सकुशल सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए अलग-अलग मामलों में 03 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी/वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के संबंध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

- 1.इकबाल पुत्र लीलू निवासी ग्राम जिजोला चौकी चौसाना थाना झिंझाना जनपद शामिल।
- 2.इसराइल पुत्र लीलू निवासी ग्राम जिजोला चौकी चौसाना थाना झिंझाना जनपद शामिल।
- 3.राजा पुत्र मनोज उर्फ कल्लन निवासी मौहल्ला माजरा थाना झिंझाना जनपद शामिल।

थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 10 लीटर कच्ची शराब बरामद:-

आज दिनांक 22.03.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार आगामी लोक सभा चुनाव-2024 को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु चलाए जा रहे अवैध शराब के अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को अवैध 10 लीटर कच्ची शराब सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. प्रवीण पुत्र जयपाल निवासी मौ0 शान्तिनगर थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

1. अवैध 10 लीटर कच्ची शराब।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री पवन कुमार थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

2. है0का0 अनुज कुमार थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।



उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में अवैध हथियार के मामले में 01 अभियुक्त को माननीय न्यायालय कैराना, शामली द्वारा सुनाई जेल में बिताई गई अवधि के कारावास की सजा व 8000/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया:-

वर्ष 2003 में अभियुक्त 1.शमशीर पुत्र शकील निवासी मौहल्ला पीरजादगान कस्बा व थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 64/2003 धारा 25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 22.03.2024 को माननीय न्यायालय CJSJ/ACJM कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा 25 आयुध अधिनियम में सुनाई जेल में बिताई अवधि (31.01.2003 से 01.02.2003) तक के कारावास की सजा व 8000/- रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

नाम व पता अभियुक्त:-

1.शमशीर पुत्र शकील निवासी मौहल्ला पीरजादगान कस्बा व थाना कैराना जनपद शामली।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI